[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्रम संख्या 495 के समक्ष,

(क) कॉलम (2) में "कोई भी अध्याय" शब्दों के स्थान पर अंक "8507" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (4) में, शब्द "शून्य", के स्थान पर अंक "5%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) क्रम संख्या 512 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(क) निम्नलिखित को छोड़कर, पुर्जे, घटक और सहायक उपकरण: -

(i). लीथीयम आयन सेल (जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है); और

(ii). प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेंबली (PCBA) (जो कि टैरिफ मद 8507 90 90 के अंतर्गत आता है),

मोबाइल हैंड सैट जिसमें सैलुलर फोन भी आते हैं जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आता है, की बैट्रियों से भिन्न लीथीयम आयन बैट्रियों के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले;

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले उप पुर्जे" ।

(iii) क्रम संख्या 523 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"523 क	कोई भी अध्याय	लीथीयम आयन सेल्स जो कि टैरिफ मद 8507 60 00 के अंतर्गत आते हैं, के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले पुर्जे, उप पुर्जे, इनपुट्स या कच्चा माल ।	शून्य	-	9";

(iv) क्रम संख्या 524 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द, "मोटर वाहन", के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "(विद्युत चालित वाहनों को छोड़कर)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 525 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"525	8702 या 8704	विद्धुत चालित वाहन यदि आयातित हों, -			
		(1) नाक्ड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक, कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल है, निम्निलखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए, -			
		(क) डिसएसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रैसर जो कि चैसिस पर न लगा हो;	10%	-	-
		(ख) प्रि-एसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रैसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो;	15%	-	-
		(2) उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य रूप में ।	25%	-	-";

(vi) क्रम संख्या 526 के समक्ष, कॉलम (3) में, "मोटर वाहन या अन्य मोटर वाहनों", शब्दों के पश्चात, कोष्ठक और शब्द " (विद्युत चालित वाहनों को छोड़कर)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 526 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“526 क	8703	विद्युत चालित मोटर कार या अन्य मोटर वाहन मुख्य रूप से जो व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए तैयार किए गए हों (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8702 के अंतर्गत आते हैं), जिनमें स्टेशन वैगन और रेसिंग कार भी आती हैं, यदि ये आयातित हों, -			
		(1) नाक्ड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल है, निम्निलखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए, -			
		(क) डिसएसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस पर न लगा हो;	10%	-	-
		(ख) प्रि-एसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रेसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो;	15%	-	-
		(क) किसी अन्य रूप में,-			
		(क) जिसका सीआईएफ मूल्य 40,000 अमेरिकी डालर से अधिक हो	100%	-	-
		(ख) उपयुक्त (क) से भिन्न	60%	-	-”;

(viii) क्रम संख्या 527 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“527	8507 60 00	निम्न से भिन्न लीथीयम आयन एक्युमूलेटर के विनिर्माण में प्रयोग में आने वाले लीथीयम आयन सेल, यथा :- (क) सेलुलर मोबाइल फोन के बैट्री पैक; और	5%	-	9”;

		(ख) पावर बैंक			

(ix) क्रम संख्या 528 के समक्ष, कॉलम (3) में,

(क) मद संख्या (i) के समक्ष की प्रविष्टि को निरसित कर दिया जाएगा;

(ख) मद (iv), के पश्चात निम्नलिखित मदों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

" (v) पावर कंट्रोल यूनिट (इनवर्टर, एसी/डीसी कनवर्टर, कनडेसर);

(vi) एनर्जी मॉनीटर;

(vii) कॉनटेक्टर;

(viii) ब्रेक सिस्टम, रिकवरी के लिए;

(ix) इलैक्ट्रिक कंप्रेसर",

(x) क्रम संख्या 528 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"528 क	8507	विद्‌युत चालित वाहनों या हाईब्रिड वाहनों के विनिर्माण में प्रयोग आने वाले बैट्री पैक	5%	-	9";

(xi) क्रम संख्या 529 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद संख्या (i) के समक्ष की प्रविष्टि को निरसित कर दिया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 531 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "सहायक मोटर", शब्दों के पश्चात, कोष्ठक और शब्द "(विद्‌युत चालित मोटर साइकिलों और साइकिलों को छोड़कर)" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 531 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"531 क	8711	विद्‌युत चालित मोटर साइकिलें (जिनमें मोपेड भी आती हैं और साइकिलें जिनमें सहायक मोटर लगी हो, जिनमें साइड कार हो या नहीं और साइड कार, यदि आयातित हों, - (1) नाक्ड डाउन किट की तरह जिसमें सभी आवश्यक घटक कल और पुर्जे या सब-एसेंबलीस शामिल है, निम्निलखित को जोड़कर एक पूर्ण वाहन तैयार करने के लिए, - (क) डिसएसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर			

		कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रैसर जो कि चैसिस पर न लगा हो; (ख) प्रि-एसेंबल्ड बैट्री पैक, मोटर, मोटर कंट्रोलर, चार्जर, पावर कंट्रोल यूनिट, एनर्जी मॉनीटर कॉट्रेक्टर, ब्रेक सिस्टम, इलैक्ट्रिक कंप्रैसर जो कि चैसिस या बाडी एसेंबली पर न लगा हो; (2) उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य रूप में ।	10% 15% 50%	- - -	- - -”

2. तीसरे परन्तुक में, शब्द और अंक "31 जनवरी 2019", के स्थान पर शब्द और अंक " 2 मार्च 2019 " को प्रतिस्थापित किया जायेगा ;

3. यह अधिसूचना 30 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/47/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 80/2018 -सीमा शुल्क, दिनांक 15 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1212 (अ) दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।